हितलाभ	अंशदान की शर्त	अवधि	दर
मातृत्व हितलाभ	दो पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों में 70 दिनों के अंशदान का भुगतान	प्रसव के मामले में 26 सप्ताह तक का, दो जीवित बच्चों तक, दो से अधिक जीवित बच्चों के लिए 12 सप्ताह का, कमीशनिंग /गोद लेने वाली मां को 12 सप्ताह तक का, गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक का, जिसे गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात की वजह से कमजोरी की स्थिति में चिकित्सक के परामर्श पर अगले 1 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, भुगतान किया जाता है।	औसत दैनिक मजदूरी का 100%
चिकित्सा हितलाभ	बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से स्वयं और परिवार के लिए उचित चिकित्सा सुविधाएं।	उपयुक्त चिकित्सा देखभाल, जब तक वह बीमायोग्य रोजगार में रहता/रहती है।	
अन्य हितलाभ			
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	बेरोजगारी के मामले में बीमाकृत व्यक्ति को नकद मुआवजे का भुगतान किया जाता है बशर्ते बीमाकृत व्यक्ति द्वारा एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली गई हो और बेरोजगारी के ठीक पूर्ववर्ती 12 माह में एक अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान दिया गया हो।	90 दिन	औसत दैनिक मजदूरी का 50%
बेरोजगारी भत्ता (राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना)	कारखाने के बंद होने, छंटनी होने अथवा गैर–रोजगार चोट के कारण स्थायी निःशक्तता होने पर रोजगार की अनैच्छिक हानि के कारण और रोजगार खोने से पहले न्यूनतम दो वर्ष के लिए यदि उसके संबंध में अंशदान का भुगतान कर दिया हो/देय हो।	जीवनकाल के दौरान अधिकतम 24 माह।	पहले 12 माह के लिए औसत दैनिक मजदूरी का 50% और तत्पश्चात् अंतिम 12 माह के लिए 25%
प्रसूति व्यय	बीमाकृत महिला या बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी पात्र है यदि प्रसूति उस स्थान पर होती है जहां क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।	केवल दो प्रसूतियों तक।	₹ 7,500/– प्रति मामला
अंत्येष्टि व्यय	बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से	बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर होने वाले व्यय को अदा करने के लिए	वास्तविक व्यय या अधिकतम ₹ 15000/– के अध्ध्यीन
व्यावसायिक प्रशिक्षण	रोजगार चोट के कारण शारीरिक निःशक्तता के मामले में	जब तक व्यावसायिक प्रशिक्षण चलता है।	प्रभारित वास्तविक शुल्क अथवा ₹ 123/- प्रतिदिन, जो भी उच्चत्तर हो।
शारीरिक पुनर्वास	रोजगार चोट के कारण शारीरिक निःशक्तता के मामले में	जब तक व्यक्ति कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती है।	औसत दैनिक मजदूरी का 100%
व्यावसायिक पुनर्वास कौशल विकास योजना	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के मामले में।	अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए।	

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002

www.esic.gov.in @esichq @esichq @esichq @esichq @esichq @esichq @esichq

टोल फ्री नंबर 1800 11 25 26

हमें फॉलो करें

(क्यूआर कोड स्कैन करें)

Feb., 2024

स्वास्थ्य से समृद्धि

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गुलबर्गा (कर्नाटक)

क.रा.बी. योजना : एक नजर में

सत्यमेव जयते

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment, Government of India

क.रा.बी.योजना – परिचय

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में सन्निहित सामाजिक बीमा का एक एकीकृत उपाय है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में परिभाषित 'कर्मचारियों' को बीमारी, प्रसव, नि:शक्तता तथा रोजगार चोट के कारण मृत्यु जैसी आकस्मिक्ताओं के प्रभाव से संरक्षित करने तथा बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। क.रा.बी. अधिनियम 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी गैर–मौसमी कारखानों पर लागू होता है। राज्य सरकारों ने अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत व्याप्ति का विस्तार 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले दुकानों, होटल, रेस्त्रां, सिनेमा सहित थिएटरों, सड़क–मोटर परिवहन उपक्रमों, समाचार–पत्र प्रतिष्ठानों, निजी चिकित्सा संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों और नगर निगमों/नगर निकायों के संविदा और नैमित्तिक कर्मचारियों तक कर दिया है।

केंद्र सरकार ने धारा 1 (5) के अंतर्गत व्याप्ति का विस्तार 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली दुकानों, होटलों, रेस्त्रां, सड़क मोटर परिवहन स्थापनाओं, सिनेमा सहित पूर्वावलोकन थिएटर, समाचार–पत्र स्थापनाओं, बीमा व्यवसाय में लगी स्थापनाओं, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पोर्ट ट्रस्ट, हवाई अड्डे तथा भंडारण स्थापनाओं तक कर दिया है, जहां केंद्र सरकार समुचित सरकार है।

अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति के लिए मौजूदा वेतन सीमा ₹ 21,000 प्रति माह (नि:शक्त व्यक्तियों के मामले में ₹ 25,000 प्रति माह) है, जो कि 01.01.2017 से प्रभावी है।

क.रा.बी.योजना नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से वित्तपोषित होती है। नियोक्ता के अंशदान की दर कर्मचारियों को देय मज़दूरी का 3.25% है। कर्मचारियों के अंशदान की दर कर्मचारी को देय मज़दूरी का 0.75% है। दैनिक मज़दूरी के रूप में प्रतिदिन ₹176/- तक अर्जित करने वाले कर्मचारियों को अपना अंशदान हिस्सा देने से छूट प्राप्त है।

बीमारी हितलाभ, नि:शक्तता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, मातृत्व हितलाभ और चिकित्सा हितलाभ क.रा.बी.योजना के अंतर्गत प्रदत्त मुख्य हितलाभ हैं। इनके अतिरिक्त, बेरोजगारी भत्ता (राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना), प्रसवावस्थां व्यय, अंत्येष्टि व्यय, व्यवसाय पुनर्वास, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) हितलाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले अन्य हितलाभ हैं।

व्याप्ति

आरंभ में, क.रा.बी.योजना सन् 1952 में मात्र दो औद्योगिक केन्द्रों, नामत: कानपुर और दिल्ली में लागू की गई थी। भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच तथा जनसांख्यिकी–व्याप्ति की दृष्टि से इस योजना ने तब से लेकर आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। औद्योगीकरण की प्रगति के साथ कदम–से–कदम मिलाकर चलती हुई यह योजना आज देश के 36 राज्यों एवं संघ–राज्य क्षेत्रों के 661 जिलों में लागू है। वर्तमान में यह अधिनियम देश भर के 15.94 लाख से अधिक कारखानों तथा स्थापनाओं पर लागू है तथा लगभग 3.42 करोड़ बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार इकाइयों को योजना के हितलाभ प्रदान कर रहा है। लाभार्थियों की कुल संख्या 13.30 करोड़ से अधिक है।

अवसंरचना

वर्ष 1952 में योजना के लागू होने के बाद से ही कामगारों की निरंतर बढ़ती संख्या के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए योजना के अवसंरचना तंत्र में विस्तार होता रहा है। क.रा.बी.निगम ने अभी तक अंत: रोगी सेवाओं के लिए 161 अस्पताल (54 क.रा.बी. निगम अस्पताल और 107 क.रा.बी.योजना अस्पताल) स्थापित किए हैं। लगभग 1574/387 क.रा.बी. औषधालयों/आयुष इकाइयों और 887 पैनल क्लीनिकों के तंत्र के माध्यम से प्राथमिक तथा बाह्य–रोगी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं और नकद हितलाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा 104 औषधालय–सह–शाखा–कार्यालय (डीसीबीओ) खोले गए हैं।

जोखिम भरे उद्योगों में कार्यरत कामगारों में व्यवसायजन्य रोगों का जल्दी पता लगाने व उसके उपचार के लिए मुंबई (महाराष्ट्र), नई दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु), अलवर (राजस्थान), पटना (बिहार) तथा इंदौर (मध्य प्रदेश) में निगम ने व्यावसायिक रोग निदान केंद्र स्थाापित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, क.रा.बी.निगम देश भर में 8 चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, 2 दंत्य महाविद्यालय, 2 नर्सिंग महाविद्यालय और 1 पैरा चिकित्सा महाविद्यालय भी संचालित करा रहा है।

नकद हितलाभों का भुगतान, निगम के 604 से अधिक शाखा कार्यालयों के तंत्र के माध्यम से संचालित होता है, जिनके कार्यों का पर्यवेक्षण 64 क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

क.रा.बी.निगम – भारत के कार्यबल के लिए एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा संगठन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक सुरक्षा को वैसी सुरक्षा परिभाषित करता है, जो समाज कुछ जोखिमों के विरूद्ध एक संगठन के माध्यम से प्रदान करता है, जिनसे इसके सदस्य हमेशा जूझते रहते हैं। ये जोखिम अनिवार्यत: ऐसी आकस्मिकताएं हैं जिनके विरूद्ध न्यून साधनों वाला व्यक्ति प्रभावी रूप से अपनी क्षमता या दूरदर्शिता से या अपने साथियों के साथ निजी संयोजन में भी प्रभावी ढंग से समाधान नहीं निकाल सकता है। इसीलिए, सामाजिक सुरक्षा के तंत्र में प्रकृति के अंध न्याय और आर्थिक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए तर्कसंगत नियोजित न्याय द्वारा उदारता के स्पर्श के साथ इसे नियंत्रित करना शामिल है।"

क.रा.बी.निगम देश का ऐसा एकमात्र सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो अधिकांश आकस्मिकताओं (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सूची में उल्लिखित) जो बीमारी, कामगार के लिए चिकित्सा देखभाल, मातृत्व, बेरोजगारी, रोजगार चोट, कामगार की मृत्यु, नि:शक्तता और वैधव्य, को समाहित करता है।

क.रा.बी.योजना 'क्षमता के अनुसार अंशदान और आवश्यकतानुसार हितलाभ' के गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत समाज के निचले वेतन वर्ग से संबद्ध रखने वाले बीमाकृत व्यक्ति को उसकी "अर्जन क्षमता के अनुसार अंशदान का भुगतान करने पर हितलाभों" का हकदार बनाता है।

क.रा.बी.योजना के तहत किए गए प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा भुगतान से बीमाकृत व्यक्ति/महिला को आपातकालीन चिकित्सा और अन्य आकस्मिकताओं के दौरान उसकी बचत या कमाई पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सहायता मिलती है। क.रा.बी.योजना द्वारा प्रदान किए जाने वाले हितलाभ हैं :–

- **चिकित्सा हितलाभ :** क.रा.बी. निगम बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के आश्रितजन सदस्यों को समुचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। प्रदान की जानेवाली चिकित्सा सेवाओं में निवारात्मक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं की श्रेणी शामिल है। इसके लिए, बीमाकृत व्यक्ति अपनी पहचान दिखाकर क.रा.बी. औषधालय और अस्पतालों में उपचार करा सकता है।
- **बीमारी हितलाभ :** लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 70 प्रतिशत की दर से बीमाकृत व्यक्ति को बीमारी हितलाभ का भुगतान किया जाता है। इसके लिए कम से कम 78 दिनों के अंशदान का भुगतान किया जाना चाहिए।
- **मातृत्व हितलाभ :** प्रसव के मामले में 26 सप्ताह तक का, दो जीवित बच्चों तक, दो से अधिक जीवित बच्चों के लिए 12 सप्ताह का, कमीशनिंग/गोद लेने वाली मां को 12 सप्ताह तक का, गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक का, जिसे गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात की वजह से कमजोरी की स्थिति में चिकित्सक के परामर्श पर अगले 1 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, दो पूर्ववर्ती योगदान अवधि में 70 दिनों के योगदान की शर्त पर, भुगतान किया जाता है।
- **नि:शक्तता हितलाभ :** बीमाकृत व्यक्ति को नि:शक्तता हितलाभ चोट लगने के कारण दिया जाता है। अस्थायी नि:शक्तता और पूर्ण स्थायी नि:शक्तता के मामलों में 90 प्रतिशत की दर से औसत दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है एवं आंशिक स्थायी नि:शक्तता के मामले में यह लाभ कमाने की क्षमता में हुए नुकसान के अनुपात में दिया जाता है।
- **आश्रितजन हितलाभ :** रोजगार चोट के परिणामस्वरूप बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है जो सभी आश्रितों के बीच निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। यह हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति के विधवा को आजीवन अथवा पुनर्विवाह तक, पुत्र के लिए 25 वर्ष की आयु तक तथा पुत्री के विवाह तक दिया जाता है।
- **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) :** बीमाकृत व्यक्ति को बेरोजगारी के मामले में वेतन के 50 प्रतिशत की दर से 90 दिनों तक के नकद मुआवजे का भुगतान किया जाता है। इसके लिए, बीमाकृत व्यक्ति द्वारा बेरोजगारी के ठीक पूर्ववर्ती 12 माह की अवधि में एक पूरी अंशदान अवधि हेतु कम से कम 78 दिनों के अंशदान का भुगतान किया गया हो।
- **वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल :** सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति लेने या पूर्व–सेवानिवृत्ति के अधीन बीमाकृत व्यक्ति और उनके पति या पत्नी को क.रा.बी अस्पतालों और औषधालयों में बीमा योग्य रोजगार में 05 वर्ष की न्यूनतम सेवा की शर्त और सेवानिवृत्ति के बाद ₹ 120/– प्रति वर्ष के भुगतान पर वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है।
- **व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता :** नि:शक्तता से तात्पर्य कौशल को पूर्ण रूप से खो देना नहीं है। रोजगार चोट के परिणामस्वरूप हुई नि:शक्तता के मामले में वास्तविक शुल्क अथवा ₹ 123/– प्रति दिन का भुगतान।
- **पुनर्वास भत्ता :** रोजगार चोट के कारण शारीरिक नि:शक्तता के मामले में औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत का भुगतान, जब तक व्यक्ति कृत्रिम अंग के स्थिरीकरण/ मरम्मत या प्रतिस्थापन हेतु कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती हैं।
- **अन्य हितलाभ प्रसूति व्यय :** ₹ 7500/– प्रति प्रसवावस्था जहां क.रा.बी. चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- **अन्त्येष्टि व्यय :** मृत बीमाकृत व्यक्ति की अन्त्येष्टि हेतु अधिकतम ₹ 15000/– नकद अथवा वास्तविक व्यय।

हितलाभ, अंशदायी शर्तों, हितलाभों की अवधि और हितलाभों के पैमाने का संक्षिप्त विवरण

हितलाभ	अंशदान की शर्त	देय अवधि	दर
बीमारी हितलाभ			
बीमारी हितलाभ	तदनुरूपी अंशदान अवधि में 78 दिनों के लिए अंशदान का भुगतान	लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक	औसत दैनिक मजदूरी का 70%
वर्धित बीमारी हितलाभ	उपर्युक्तानुसार	महिला नसबंदी के लिए 14 दिन और पुरूष नसबंदी के लिए 7 दिन, चिकित्सा सलाह पर विस्तार योग्य	औसत दैनिक मजदूरी का 100%
विस्तारित बीमारी हितलाभ	उन 34 विनिर्दिष्ट दीर्घकालिक बीमारियों के लिए, दो वर्ष की अवधि से निरंतर बीमायोग्य रोजगार और चार क्रमागत अंशदान अवधियों में कम से कम 156 दिनों का अंशदान।	दो वर्ष की अवधि के दौरान 124 दिन। चिकित्सा सलाह पर इसे दो वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है।	औसत दैनिक मजदूरी का 80%
नि:शक्तता हितलाभ			
अस्थायी नि:शक्ताता हितलाभ	बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से ही रोजगार चोट के कारण हुई नि:शक्तता हेतु।	जब तक अस्थायी नि:शक्तता है।	औसत दैनिक मजदूरी का 90% के लगभग
स्थायी नि:शक्तशता हितलाभ	बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से ही रोजगार चोट के कारण हुई नि:शक्तता हेतु।	आजीवन	औसत दैनिक मजदूरी का 90% या आय अर्जन की क्षमता में हुए नुकसान के अनुसार
आश्रितजन हितलाभ	बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से ही, रोजगार चोट के कारण हुई मृत्यु होने पर।	विधवा को आजीवन या उसके पुनर्विवाह तक, आश्रित पुत्र की 25 वर्ष की आयु तक, पुत्री को विवाह तक और आश्रित माता–पिता आदि को शर्तों के अधीन आजीवन।	निर्धारित अनुपात में आश्रितजनों के बीच बांटी जाने वाली दैनिक औसत मजदूरी का 90%